

Court No. - 13

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 9419 of 2023

Petitioner :- Mohd. Salim @ Mohd. Salim Qureshi

Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko. U.P. And Another

Counsel for Petitioner :- Vinod Kumar Singh

Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Karunesh Singh Pawar,J.

Heard learned counsel for the petitioner as well as learned AGA for the State.

Notices to respondent no. 2 are dispensed with in view of the proposed order.

By this petition, the petitioner has prayed for the following relief:-

"Issue a Writ, order or direction in the nature of Certiorari for quashing the order dated 28.09.2022 passed in criminal revision no. 71/2022 (Mohd. Salim and others versus State of U.P. and another) by learned Additional Sessions Judge/Special Judge (N.D.P.S. Act), Court No. 10, Barabanki as well as quash the summoning order dated 22.03.2022 passed under section 147, 323, 504, 452, 376D IPC on the basis of final report no. 289/2021 by learned Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 19, Barabanki in the case of 'Sunita Soni versus Mohd. Salim and others' relating case crime no. 294/2017 under section 147, 323, 504, 452, 506, 376D, 394 IPC registered at Police Station Safdarganj, District-Barabanki contained as Annexure No. 1 & 2 to this petition in the interest of justice."

Perused the record.

Perusal of the impugned summoning order dated 22.03.2022 passed by the Court of Additional Chief Judicial Magistrate, Court No. 19 Barabanki, it appears that an FIR through an application under Section 156(3) Cr.P.C. was registered at the concerned police station as case crime No. 294/2017, under Sections 147/323/504/506/376-D/392 IPC in which after investigation, final report was filed. Learned court below after considering the statements of the prosecutrix under Section 161 and 164 Cr.P.C. has rejected the final report and summoned the accused persons in a State case. The relevant part of the order dated 22.03.2022 is extracted below:-

अवलोकनीय है कि विवेचना के अनुक्रम में पचा संख्या-2 दिनांकित 26.09.2017 को पीडिता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा-161 'द.प्र.सं. में कथन किया है कि "18 जुलाई 2017 को समय 7.30 बजे शाम को प्रार्थिनी घर में अकेली थी। गांव के ही रहने वाले मो० सलीम पुत्र रमजानी, इमरान पुत्र सलीम, सलमान पुत्र

सलीम व दो अज्ञात व्यक्ति जिसका नाम पता नहीं मालूम मुंह में कपड़ा बांधे हुए हाथ में लात-डण्डों के साथ घर में अचानक घुस आये और मां, बहन की भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए बेड पर गिरा दिया कपड़े भी फाड़े और स्क्रीन पर हाथ भी लगाया और कारा कि आज तुम घर में अकेली हो तुम्हारे पति ने मुझसे दुश्मनी की थी आज मौका मिला है हम तुम्हारी इज्जत खराब कर देंगे। हाथ, पैर को दबाकर पकड़ लिया और मुंह को भी दबा दिया बोले शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थिनी के पेशाब में भी हाथ डाल दिया था। प्रार्थिनी के शोर गुल करने पर गोरा तमाम लोग इकट्ठा हो गये थे। उक्त लोग प्रार्थिनी के गले में पहने हुई सोने की चैन व मंगल सूत्र 16 ग्राम सलीम ने गले से नोचकर छीन लिया और जाते-जाते धमकी भी देते गया कि किसी थाना पुलिस में बताओगी तो जान से खत्म कर देंगे। तथा सी०डी० पर्चा संख्या-8, दिनांकित 10.10.2017 में पीडिता द्वारा अपने गयान अन्तर्गत धारा-164 द.प्र.स. में कथन किया है कि "इसी वर्ष 18 जुलाई लौ शाम 7.30 बजे से 8.00 बजे के बीच का समय था। मैं घर में उस समय अकेली थी। पांच लोग सलीम, इमरान, सलमान व दो लोगों ने कपड़ा मुंह पर बांध रखा था उनको मैं नहीं जानती यह पांचों लोग एकाएक मेरे घर में घुस आये। दो लोगों ने हाथों में डण्डा लिया था। मैंने पूछा क्यों आये हो मेरे पति घर में नहीं हैं बात करना इस पर एकदम से ये लोग गन्दी गन्दी गालिया देने लगे और खींचातानी करने लगे और जबरदस्ती जमीन पर लिटा दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिये सलीम ने कहा कि इसकी इज्जत, खराब करो। सलीम ने कहा कि पिता जी पता चल जायेगा इज्जत मत खराब करो। मैं चिल्लाई तो मेरा मुंह बंद कर दिया और कहा कि दूसरी तरह से इज्जत खराब करो और सभी लोगों ने मेरे स्तन दबाये और सभी न नीच मेरे गुप्तांग पर हाथ डाला और शरीर पर नीचा। मेरे हाथ पकड़ रखे थे और गला मी देवाचा जिससे मेरे हाथ व गर्दन पर निशान पड़ गये। मेरी जांघे पीछे से लोगों ने पकड़ रखी थी चिल्लाने पर मेरे दो-तीन मारे थे। मेरे शोर पर मोहल्ले वाले आये थे। यह लोग मेरी सोने की चैन व मंगल सूत्र 3 लार्केट को गले से निकाले और जाते जाते धमकी भी दी कि किसी को बताया तो जान से मारे देंगे। उपरोक्त बयान से पीडिता द्वारा घटना का समर्थन किया है, किन्तु विवेचक द्वारा अन्य चश्चमीद गवाह को तरजीह देकर मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी है जबकि पीडिता के विरुद्ध यौन शोषण का अपराध कारित किया गया है तथा कारित पीडिता महिला के विरुद्ध बयान से यदि मामले की स्वयं पुष्टि होती है अत अभियुक्तगण को तलब किया जाना न्यायोचित होगा। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थिया की दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को तलब किये जाने या आधार पर्याप्त है व अंतिम रिपोर्ट निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार न्यायालय में प्रेषित अपराध संख्या-294/2017 में प्रस्तुतः अंतिम रिपोर्ट संख्या-24/2018 दिनांकित 12.02.2019 निरस्त की जाती है। विपक्षीगण मा० सताम, इमरान सलभा: । धारा-147 323, 504, 452, 376 डी, भा०८०सं० के अन्तर्गत तलब किया जाता है। यह भामला स्टेट कैस के रूप में चलेगा। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।"

Against the order dated 22.03.2022, a revision was filed. Learned Revisinoal Court has not found any illegality or impropriety in the order passed by the court below and as such, the revision has also been dismissed.

On due consideration to the law laid down by this Court in the case of "**Pakhandu v. State of U.P., 2001 SCC OnLine All 967**" I am of the opinion that judgment of the court below does not suffer from any illegality/impropriety, likewise judgment of the Revisional Court also does not call for any interference; statements of the prosecutrix under section 161 Cr.P.C. and 164 Cr.P.C. are intact and prima facie commission of offence under the aforesaid sections appears to have been made out.

No interference is required in the order of the court below as well as in the order of the Revisional Court and accordingly, the petition is dismissed.

Order Date :- 13.12.2023

R.C.